में, शिकायतें करते रहेहैं । तथापि, चल-चित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से बार-बार चलचित्र अधिनियम, 1952 की दण्ड व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

linalisation of tripartite dearness allows •*tacts* Committee recommendations

1488. SHRIMATI RATAN KUMARI; Will the' PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Ques tran 1569 given in Rajya Sabha on the 21st August, 1990 and state:

(a) whether the Tripartite Dearnefcs Allowance Committee' to review the pre sent D. A. formula applicable to emp loyees of Public Sector Units has finalised it's recommendations;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, by when the whole issue is likely to be settled?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): fa) to (c> The Tripartite D. A. Committee' is yet to fina-[1] lise its recommendations. The term of: the Committee has been extended upto the 31st March, 1991 to enable it to finalise its recommendations.

Appeal against Delhi High Court judgement on Bofors

1489. SHRI CHLMANBHAI MEHTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state what are the reasons for which Government did not go in appeal to the Supreme Court against the Delhi High Court judgement pronounced by justice Chawla on Bofors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALTT VUAY SINGH); The C. B. I, has sent a proposal to file a Special Leave petition (Appeal) t_0 the Supreme Court against the Judgement dated 17/19tb December, 1990 of Delhi High Court, on Bofors FIR case.

साम्प्रदायिक दंगे

1490. **डा० अरार अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में वर्तमान सरकार के वहन के बाद से किन-किन स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और इन साम्प्रदायिक दंगों के क्या कारण थे ;

(ख) प्रत्येक स्थान पर हुए साम्प्रदायिक दंगों का ब्यौरा क्या है, प्रत्येक दंगे में कितने-कितने व्यक्ति मारे गये और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी आर्थिक हानि हुई और केन्द्रीय या राज्य-सरकारों द्वारा इन लोगों को क्या सहायता दी गई है ;

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यों में इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या आंतकवादी और विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 156, अनुपत्र संख्या–36]